न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2024 / 38

सिविल प्रकरण संख्याः– 28 / 2024 तारीख रजू 14.03.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. सांवरिया शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा (विक्रेता) मैसर्स जय गणेश मिष्ठान भण्डार एवं पवित्र भोजनालय, गणेश धाम, सवाई माधोपुर निवासी नीम चौकी, ट्रक यूनियन शहर सवाई माधोपुर।
2. श्री बृजमोहन मीणा पुत्र श्री कल्याण मीणा (फर्म मालिक) मैसर्स जय गणेश मिष्ठान भण्डार एवं पवित्र भोजनालय, गणेश धाम, सवाई माधोपुर निवासी सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास, छाजू पटेल मोहल्ला, खिलचीपुर, सवाई माधोपुर।

........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) & 2(iv) /51 & 54 FSS Act 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 15.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 27.09.2023 को दोपहर 03.00 पी.एम. पर उक्त फर्म– जय गणेश मिष्ठान भण्डार एवं पवित्र भोजनालय, गणेश धाम, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। मौके पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने स्वयं को विक्रेता होना बताया तथा अपना नाम सांवरिया शर्मा पुत्र हरिप्रसाद शर्मा बताया साथ ही फर्म मालिक श्री बृजमोहन मीणा पुत्र कल्याण मीणा को बताया एवं सांवरिया शर्मा को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) दूकान में रखे हुए थे। बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) में गुणवत्ता / मिलावट होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) एक साफ सूखे व खाली ट्रे में खरीदकर उनकी कीमत 600 / – रूपये विक्रेता सांवरिया शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान राजू सैनी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भर कर प्रत्येक बोतल में फॉरमर्लिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाइट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3016** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3016** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सांवरिया शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति सांवरिया शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/1089 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3960/एक्ट/2023/4006 दिनांक 05.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ** बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of FSSA Act 2006 प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2024/58 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 2(iv) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की कमशः धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ... आकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण ... उपस्थित हुये। वकील अभियुक्तगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

द्वारा प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जबाव बन्द कर प्रकरण बहस में लगाया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) प्रकृति के बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 2(iv) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त संख्या 1 लगा. 2 द्वारा बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त संख्या 1 अभियुक्त संख्या 2 की फर्म पर विक्रेता है। अभियुक्त संख्या 2 की मिठाई की छोटी सी दुकान है जिस पर गणेश जी के दर्शानार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू बनाये जाते है जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाला घी सवाई माधोपुर की दुकान से लाकर ही लड्डू बनाये जाते है। अभियुक्त संख्या 2 एक छोटी–मोटी मिठाई की दुकान है जिस पर गणेश जी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के लिए बेसन के लड्डू बनाकर विक्रय किये जाते है। अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/3960/एक्ट/2023/4006 दिनांक 05.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of FSSA Act 2006 प्रकृति का होना पाया गया है। लेब की जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R. Reading of extracted fat at 40.0^{0}C 53.1 आया है जोकि 40.0 to 44.0 (Ghee) होना चाहिए था। इसी प्रकार Reichert Value of extracted fat 13.86 आया है जोकि Min. 24.0 (Ghee) होना चाहिए था। अतः B.R. Reading at 40.0^{0}C और Reichert Value of extracted fat पैरामीटर पर प्राप्त वेल्यू यह प्रदर्शित करता है कि उक्त घी से बने नमूना उत्पाद में आंशिक रूप से foreign fat पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किये जा रहे बेसन के लड्डू जोकि प्रसाद के रूप में काम में लिये जा रहे हैं तथा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। उनके द्वारा मिलावटी लड्डू प्रसाद के रूप में विक्रय करने से ना केवल श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि धार्मिक आस्था पर भी गहरा आघात है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) & 2(iv) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के लिये [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं extraneous matter (Foreign Fat) प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** बेसन के लड्डू (घी से निर्मित) को विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 25,000 रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अतः अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.**04.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:55 IST
Reason: SelfAttested